न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 26/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) जयपुर		1 आलोक कुमार कुशवाह पुत्र रामलखन कुशवाह फर्मः– मैसर्स साबू सोडियम क्लोरो लि. गोविन्दी नावांसिटी, नागौर 2 Sri Nerimetlamath Shiva Kumar S/o Channanllayya फर्मः–मैसर्स साबू सोडियम क्लोरो लि. गोविन्दी नावांसिटी, नागौर 3 मैसर्स साबू सोडियम क्लोरो लि. गोविन्दी नावांसिटी, नागौर Res. Office- L-5, B-11, Krishna marg, C-Scheme, Jaipur

आदेश

दिनांक :13.08.2022

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा), निदेशालय चिकित्सा एवं स्वा. सेवाये, जयपुर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 10-07-2013 को मैसर्स साबू सोडियम क्लोरो लि. गोविन्दी नावांसिटी, नागौर पर खाद्य पदार्थ तोता शुद्व नमक आयोडाईज्ड में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर पेपर स्लिप नं. ईई–239 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस / 1299 / एक्ट / 2013 / 778 दिनांक 22.07.13 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ तोता शुद्व नमक आयोडाईज्ड सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण आलोक कुमार कुशवाह पुत्र रामलखन कुशवाह, Sri Nerimetlamath Shiva Kumar S/o Channanllayya तथा मैसर्स साबू सोडियम क्लोरो लि. गोविन्दी नावांसिटी, नागौर Res. Office- L-5, B-11, Krishna marg, C-Scheme, Jaipur ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 08.05.2014 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सूचना के न्यायालय में गैर हाजिर रहा है। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से श्री भगवानराम अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने दिनांक 13.08.2022 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हमारी दुकान से नमक का सैम्पल लिया जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। भविष्य में इस अपराध की पुनरावृति नहीं होगी। लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करते है तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक क्रमांक एलएस / 1299 / एक्ट / 2013 / 778 दिनांक 22.07.13 के अनुसार खाद्य पदार्थ तोता शुद्व नमक आयोडाईज्ड का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 आलोक कुमार कुशवाह पुत्र रामलखन कुशवाह, अप्रार्थी संख्या 02 Sri Nerimetlamath Shiva Kumar S/o Channanllayya तथा अप्रार्थी संख्या 03 मैसर्स साबू सोडियम क्लोरो लि. गोविन्दी नावांसिटी, नागौर Res Office- L-5, B-11, Krishna marg, C-Scheme, Jaipur पर संयुक्त रूप से रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)